झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल एम0पी0 सं0–2217 वर्ष 2018

श्रीमती अंचला कुमारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह .... विपक्षीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री देव कांत राय, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– अपर लोक अभियोजक।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए :– श्री गिरीश मोहन, अधिवक्ता।

आदेश सं0 05 / 07.12.2018

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता और विपक्षी पक्ष सं0 2 दोनों आज कोर्ट में मौजूद हैं।

यह आपराधिक विविध याचिका विपक्षी पक्ष सं0 2 पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की प्रार्थना के लिए दायर की गई है।

ए0बी0ए0 सं0 5430 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 01.11.2017 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ए0बी0ए0 सं0 5430 वर्ष 2017 के याचिकाकर्त्ता, जो इस

आपराधिक विविध याचिका के विपक्षी पक्ष सं0 2 है, को इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी याचिकाकर्त्ता पत्नी श्रीमती अनचला कुमारी को अपने साथ संयुग्मित जीवन फिर से शुरू करने के लिए ले जाएंगे एवं दं0प्र0सं0 की धारा 438 (2) के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के साथ पूरी गरिमा और सम्मान के साथ उसे भरणपोषण करेंगे।

याचिकाकर्त्ता श्रीमती अनचला कुमारी विपक्षी पक्ष सं0 2 के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पक्ष सं0 2 पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह, खुले न्यायालय में कहते हैं कि वह याचिकाकर्त्ता के साथ दाम्पत्य जीवन फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है और उसे अपने घर नहीं ले जायेंगे।

इस न्यायालय द्वारा ए0बी0ए0 सं0 5430 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 01.11.2017 के आदेश के परिणामस्वरूप विपक्षी पक्ष सं0 2 पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह को दी गई जमानत की शर्त की घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पक्ष सं0 2 पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाता है।

विपक्षी पक्ष सं0 2 पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह को विचारण न्यायालय के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके विफल होने पर, विचारण न्यायालय को मुकदमें चलाने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी कठोर कदम उठाने का निर्देश देती है।

तद्नुसार, इस अपराधिक विविध याचिका को निस्तारित किया जाता है।

ह0

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)